



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ

King George's Medical University, U.P., Lucknow

Website: www.kgmu.org

MINUTES OF THE MEETING

Meeting of anti-ragging committee was held on 07/03/20022 at Board Room, Admin Block based on the complaint number ARCC/UP 7106 dt 02/03/22, received from Anti-Ragging Helpline stating that "they have received the complaint from a student pursuing BDS 1st year, who has been mentally harassed by senior students named as Paras Brijwasi, Manish Sharma, Bobby and many other students of 2nd year". Following were present in the meeting:-

1. Lt. Gen. Dr. Bipin Puri	- Vice Chancellor/ Chairperson	9. Dr. Punita Manik	- Member
2. Dr. Uma Singh	- Member	10. Dr. R.K. Singh	- Member
3. Dr. Chhitij Srivastava	- Proctor/ Convenor	11. Dr. R.K. Diwan	- Member
4. Dr. Nand Lal	- Member	12. Dr. RAS Kushwaha	- Member
5. Dr. M. Kaleem Ahmad	- Member	13. Dr. Niraj Mishra	- Member
6. Dr. Ranjana Singh	- Member	14. Dr. A.A. Sonkar	- Member
7. Dr. Jagdish Narayan	- Member	15. Dr. Jyoti Chopra	- Member
8. Dr. Sheuli	- Member	16. Mr. Arvind Kr. Srivastava	- Member
		17. Dr. Kaweri Dande	- Member

The member of anti-ragging committee enquired from the students of BDS 2nd year batch namely, Paras Brijwasi, Manish Sharma and Bobby. All these three students informed the committee that they were not involved in any form of ragging activities. The same has been recorded and taken in writing. The committee strongly gave them a message that if any of the students will be found to indulge in ragging, he or she will be severely punished.

Next committee enquired individually from the students of BDS 1st year batch. All students of BDS 1st year batch denied the occurrence of any form of ragging with them.

Committee concluded that though there is no report of ragging by students but measures taken for curbing the menace of ragging should be continued. Awareness about anti ragging by banners and posters should be displayed all around the university campus and hostels.

(Dr. Uma Singh)
Dean-Academics/
Member

(Dr. Chhitij Srivastava)
Proctor/Member

(Dr. Nand Lal)
Member

(Dr. M. Kaleem Ahmad)
Member

(Dr. Ranjana Singh)
Member

(Dr. Jagdish Narayan)
Member

(Dr. Sheuli)
Member

(Dr. Punita Manik)
Member

(Dr. R.K. Singh)
Member

(Dr. R.K. Diwan)
Member

(Dr. RAS Kushwaha)
Member

(Dr. Niraj Mishra)
Member

(Dr. A.A. Sonkar)
Member

(Dr. Jyoti Chopra)
Member

(Mr. Arvind Kr. Srivastava)
Member

(Dr. Kaweri Dande)
Member

(Lt. Gen. Dr. Bipin Puri)
Vice Chancellor/Chairperson

MINUTES OF THE MEETING

Second meeting of anti-ragging committee was held on 21/12/2021 at Board Room, Admin Block based on the complaint number ARCC/UP 6931 dt 4/12/21, received from Anti-Ragging Helpline stating that they have received the complaint from Junior Resident-1 of Orthopaedic Emergency Unit, Trauma Centre, KGMU regarding the ragging done by Dr Sharad Verma, Dr Prakhar Mishra, Dr Priyank Pratap Singh and Dr Rajnish Kumar, Junior resident 2 of MS orthopaedic batch 2019 of KGMU

The member of anti-ragging committee enquired from the staff of orthopaedic emergency unit, trauma centre regarding occurrence of any objectionable activity as mentioned in the complaint done. The committee enquired Miss Saumya Shukla (Staff nurse), Shiv Prasad (Ward boy), Uma Srivastava (Ward aaya) and Ravindra Kumar (Safai karmachari) who were posted in Orthopaedic emergency unit, Trauma centre on 3rd December 2021 in evening shift of 2pm to 8 pm. The staff clearly denied of any such incidence happened in their duty hours in the ward and gave their statements accordingly in written which are being attached with the minutes.





The committee also reviewed the CCTV footage of Orthopaedic emergency unit of 3rd December 2021 from P.R.O office, Trauma centre of the duration 2pm to 8pm. The CCTV footage was thoroughly seen and did not show any evidence of physical or mental abuse in the ward.

The committee also enquired from the consultant on call on 3rd December 2021, Dr. Devarshi Rastogi (MS), Associate professor, Department of Orthopaedics. Dr. Devarshi Rastogi denied occurrence of any such event in the Orthopaedic emergency unit on the above mentioned date and his comments in written are being attached herewith.

After thorough investigations and noting all the details, the committee feels that the complaints seems to be lodged by some anonymous person and all the allegations made by him are false and no further action need to be taken in this matter.

Encl:

Statements of staffs and on duty faculty of orthopaedic department, trauma centre

 (Vice Chancellor) KGMU <i>23/12/21</i>	 (Dean Student Welfare) KGMU	 (Dean-Academics) KGMU <i>23/12/21</i>	 (Chief Medical Superintendent) GM&AH, KGMU
 (Chief Provost) KGMU	 (REGISTRAR) KGMU	 (Arvind Srivastava) KGMU	 (Student Representative) KGMU

Minal

MINUTES OF THE MEETING
















A meeting of anti-ragging committee was held on 06/12/2021 at Board Room, Admin Block based on the complaint number ARCC/UP 6931 dt 4/12/21, received from Anti-Ragging Helpline stating that they have received the complaint from Junior Resident-1 of Orthopaedic Emergency Unit, Trauma Centre, KGMU regarding the ragging done by Dr Sharad Verma, Dr Prakhar Mishra, Dr Priyank Pratap Singh and Dr Rajnish Kumar, Junior resident 2 of MS orthopaedic batch 2019 of KGMU

The member of anti-ragging committee enquired from JR-1 (Batch-2020) of Orthopaedic Emergency Unit, Trauma Centre, KGMU, individually as well as collectively from all 15 residents regarding this complaint. The residents denied that any such incidence happened with them. They have also denied that they have made any complaint.

The committee has also enquired from Dr Sharad Verma, Dr Prakhar Mishra, Dr Priyank Pratap Singh and Dr Rajnish Kumar, JR 2 (Batch -2019) for any such incidence in the Orthopaedic Emergency Unit of KGMU. They also denied that any such incidence happened in the Orthopaedic Emergency Unit.

After listening to the both JR-1 & JR-2 of Orthopaedic Emergency Unit of Trauma, KGMU, Committee feels that though residents have denied occurrence of any such event and complaints seems to be lodged by some anonymous person, but still this matter needs further investigation by looking at CCTV footages of ortho emergency unit, trauma centre and by enquiring from the staff of orthopaedics regarding any possibility of physical and mental abuse.

Encl: Statements of residents of orthopaedics department (15 JR1 and 4 JR2)

 (Vice Chancellor) KGMU  07/12/21	 (Dean Student Welfare) KGMU  07/12/21	 (Dean Academics) KGMU  07/12/21	 (Chief Medical Superintendent) GM&AH, KGMU  07/12/21
 (Chief Provost) KGMU  07/12/21	 (REGISTRAR) KGMU  07/12/2021	 (Arvind Srivastava) KGMU  07/12/2021	 (Student Representative) KGMU  07/12/2021
 (Chief Proctor) KGMU			

सेवा में,

चीफ प्राक्टर

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

महोदय,


आपको सूचित करना है कि आप अपने कार्यालय पत्र संख्या-633/प्रा०/2018 दिनांक-16/10/2018 के सन्दर्भ में गठित जॉच कमेटी सदस्यों द्वारा दिनांक-26/10/2018 को अपराह्नः 03:00 बजे, दिनांक-03/11/2018 को अपराह्नः 03:00 बजे एवं दिनांक-13/11/2018 को अपराह्नः 02:00 बजे अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कक्ष में बैठक आहूत की गयी, कमेटी सदस्यों द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित छात्रों को बुला कर पूछ-ताछ किया गया तथा लिखित बयान लिया गया परन्तु किसी भी नवागन्तुक अथवा सीनीयर छात्र ने रैगिंग होने एवं रैगिंग करना स्वीकार नहीं किया और सभी जूनियर/सीनियर छात्रों द्वारा कोई भी रैगिंग की घटना घटित नहीं होने के आशय का लिखित बयान दिया गया। आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक- 01/12/2018 के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें घटना में लिप्त छात्रों का काल डिटेल था जिसमें जूनियर छात्रों के फोन पर देर रात्रि बात हुई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जूनियर छात्रों की रैगिंग हुई है जिसमें प्रश्नगत छात्र श्री हरदीप सिंह राना, श्री अंचल जैन, श्री गुलाम हसन, श्री उत्कर्ष गंगवार, श्री राम प्रवेश गुप्ता एवं श्री अनिमेष तरैया लिप्त पाये गये। जैन, श्री गुलाम हसन, श्री उत्कर्ष गंगवार, श्री राम प्रवेश गुप्ता एवं श्री अनिमेष तरैया लिप्त पाये गये। जिन छात्रों का फोन काल ट्रेस नहीं हुआ है समस्तः उनके द्वारा किसी अन्य मोबाईल नम्बर का प्रयोग किया गया।


संस्तुति:-

1. घटना में संलिप्त 2017 बैच के छात्र श्री अंचल जैन, श्री उत्कर्ष गंगवार, के ऊपर ₹0-15,000/- प्रति छात्र का अर्थदण्ड लगाया जाय जिससे इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति पर पूर्ण विराम लग सकें।

2. घटना में संलिप्त 2017 बैच के छात्र श्री हरदीप सिंह राना, श्री गुलाम हसन, श्री राम प्रवेश गुप्ता एवं श्री अनिमेष तरैया को एम०बी०बी०एस० कोर्ष एवं छात्रावास से छः माह के लिए निलम्बित किया जाय।


3. संलिप्त समस्त छात्रों के अविभावक को इस आशय का पत्र प्रेषित कर, छात्रों से नोटराइज्ड शपथ पत्र ले लिया जाय।


डा० शितली
(सदस्य)



डा० आर०के० दीपान
(सदस्य)

प्रो० मनीष वाजपेयी
(सदस्य)

प्रो० नन्द लाल
(सदस्य)


प्रो० अनूप कुमार वर्मा
(सदस्य)


प्रो० उमेश सिंह
(सदस्य)


प्रो० जी०पी० सिंह
(अध्यक्ष)

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राक्टर कार्यालय

दिनांक—30/05/2019

मीटिंग / मिनट्स

दिनांक—13/05/2019 पूर्वान्ह: 09:57 बजे रैगिंग से सम्बन्धित प्राप्त ई—मेल शिकायती पत्र के जॉच हेतु मा० कुलपति जी द्वारा प्रो० जी०पी० सिंह को जॉच समिति का अध्यक्ष एवं डा० आनन्द श्रीवास्तव को संयोजक एवं अन्य पदाधिकारियों को सदस्य नामित किया गया है। संयोजक जॉच समिति द्वारा कार्यालय पत्र संख्या—935/प्रा०/2019 दिनांक—16/05/2019 के द्वारा जॉच समिति सदस्यों की प्रो० जी०पी० सिंह, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की अध्यक्षता में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कक्ष पी०एच०आई० भवन में दिनांक—20/05/2019 अपरान्ह: 02:00 बजे हुई उपरोक्त बैठक के परिपेक्ष्य पुनः दिनांक—30/05/2019 अपरान्ह: 01:00 बजे बैठक आहूत की गयी, जिसमें सभी सदस्य (प्रो० जी०पी० सिंह, प्रो० अनूप कुमार वर्मा, प्रो० नन्द लाल, प्रो० सुजाता एवं डा० आनन्द श्रीवास्तव) उपस्थित हुए।

उपरोक्त हुई बैठक में समिति के समक्ष निम्नलिखित तथ्य सामने आए—

— शिकायतकर्ता डा० पूनम गुप्ता (तन्मय गुप्ता एम०बी०बी०एस० 2017 बैच की माँ) द्वारा अपनी लिखित शिकायत वापसी के दौरान यह कहा गया कि उनके बेटे तन्मय गुप्ता को उनके सीनियरर्स द्वारा मात्र परिचय हेतु ही बुलाया गया था जो कि भ्रमवश उनके बेटे को रैगिंग का आभास हुआ। उनके बेटे के साथ सीनियरर्स द्वारा किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग या अभद्रता नहीं की गयी। अतः उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है।

— तन्मय गुप्ता (एम०बी०बी०एस० 2017 बैच) ने भी अपनी लिखित शिकायत वापसी के दौरान यह कहा कि सीनियर द्वारा मात्र परिचय हेतु ही मुझे बुलाया गया था परन्तु तबीयत खराब होने की वजह से भ्रमवश मुझे रैगिंग का आभास हुआ जो रैगिंग की श्रेणी में नहीं आता है और न ही सीनियरर्स द्वारा किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग या अभद्रता की गयी।

उपरोक्त हुई बैठक में समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए गए—

— चूंकि शिकायतकर्ता डा० पूनम गुप्ता व उनके पुत्र तन्मय गुप्ता एम०बी०बी०एस० 2017 बैच द्वारा अपनी शिकायत वापस ले ली। उपरोक्त के क्रम में समिति ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त शिकायत भ्रमवश की गयी थी जो कि रैगिंग की श्रेणी में नहीं आती है।

— परन्तु यह तथ्य भी सत्य है कि छात्रावास से रात्रि 11:00 बजे से 02:00 बजे मध्य सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों को बाहर बुलाना तथा जूनियर छात्रों द्वारा रात्रि 11:00 बजे के उपरान्त बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के रात्रि को छात्रावास से बाहर जाना छात्रावास नियम व अनुशासन का घोर उल्लंघन है छात्रों के इस कृत्य को देखते हुए घटना में संलिप्त समस्त सीनियर छात्रों के ऊपर रु०—5000/- एवं जूनियर छात्रों पर रु०—1000/- मात्र का अर्थदण्ड लगाया जाय एवं घटना में संलिप्त समस्त छात्रों से इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हुई तो हमें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाय।

अतः समिति ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त शिकायत पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं होगी।

डा० आनन्द श्रीवास्तव
(संयोजक, जॉच समिति)



किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

इमरजेन्सी काम्प्लेक्स एवं ट्रॉमा सेन्टर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003

पत्रांक..... / जन./टी.-सी-19

दिनांक / / 2019

कार्यवृत्त

चीफ प्राक्टर के कार्यालय पत्रांक संख्या 1141/प्रा०/2019 दिनांक 29.09.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.09.2019 की रात आर्थोपैडिक विभाग के कुछ रेजीडेंट चिकित्सकों द्वारा अन्यत्र बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें 02 रेजीडेंट चिकित्सक डॉ रजनीश एवं डॉ प्रांजल मदिसा आदि के अत्यधिक सेवन के कारण बेहोश हो गये थे, जिन्हें उक्त पार्टी में गये अन्य रेजीडेंट चिकित्सक जो खुद भी नशे में थे उपरोक्त रेजीडेंट चिकित्सकों को बेहोशी की हालत में ट्रॉमा सेन्टर के एम0ई0टी0सी0 वार्ड में भर्ती कराया गया। जहाँ पर आर्थोपैडिक विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक जो उन्हें बेहोशी की हालत में लाये थे एम0ई0टी0सी0 में वार्ड में तैनात रेजीडेंट चिकित्सकों से इलाज में बाधा उत्पन्न करते हुए उनके साथ गाली-गलौच मार-पीट एवं अपशब्दों का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात डियूटी पर तैनात मेडिसिन के रेजीडेंट डाक्टरों द्वारा विभाग के अन्य अपशुक्त संख्या में पुलिस/पी0ए०सी बल की उपस्थित के कारण वे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने के कारण आर्थोपैडिक विभाग में व्यापक स्तर पर तोड़-फोड़ एवं तांडव किया, फलस्वरूप आर्थोपैडिक विभाग के रेजीडेंट चिकित्सकों द्वारा व्यापक स्तर पर उत्पात मचाया गया जिससे अन्य मरीजों के उपचार में बाधा उत्पन्न हुई।

माझे कुलपति जी के मौखिक निर्देशों के कम में प्रो० आर०ए०स० कुशवाहा, चीफ प्राक्टर द्वारा उक्त घटना की निष्पक्ष जॉच हेतु प्रो० जी०पी० सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की एक जॉच कमेटी गठित की गयी:-

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 01. प्रो० जी०पी० सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, के०जी०एम०य००, लखनऊ | - | अध्यक्ष |
| 02. प्रो० बी०के० ओझा, चिकित्सा अधीक्षक, के०जी०एम०य००, लखनऊ | - | सदस्य |
| 03. प्रो० अनूप कुमार वर्मा, एडिशनल प्राक्टर, के०जी०एम०य००, लखनऊ | - | सदस्य |
| 04. प्रो० सुरेश कुमार, संकाय प्रभारी, ट्रॉमा सेन्टर, के०जी०एम०य००, लखनऊ | - | सदस्य |
| 05. प्रो० सुजाता देव, एडिशनल प्राक्टर, के०जी०एम०य००, लखनऊ | - | सदस्य |

उक्त की बैठक ट्रॉमा कार्यालय के पत्रांक संख्या 1409/जन.टी०सी०/19 दिनांक 30.09.2019 के द्वारा दिनांक 30.09.2019 को समय अपराह्न 02:00 बजे अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पी०ए०आ०ई० भवन कार्यालय में आहूत की गयी, जिसमें कार्यालय के पत्रांक संख्या 1405/जन.टी०सी०/19 दिनांक 30.09.2019 के द्वारा जोकि विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग एवं हड्डी रोग विभाग को संबोधित है को उक्त घटना में शामिल रेजीडेंट चिकित्सकों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था जोकि बैठक में उपस्थित हुए। उक्त सभी सदस्यों द्वारा उपरोक्त बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

01. मेडिसिन विभाग एवं आर्थोपैडिक विभाग के रेजीडेंटों न अपना-अपना बयान दिया।
02. जॉच समिति ने यह पाया कि दोनों विभाग के रेजीडेंट ने लडाई किया, गाली-गलौच किया एवं विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का नुकसान किया।
03. जॉच समिति ने प्रथम दृष्टया दोनों विभाग के निम्नलिखित रेजीडेंटों को दोषी पाया और इन रेजीडेंटों के अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जॉच समिति ने जॉच पूर्ण होने तक कार्य से निलंबित किए जाने की संस्तुति करती है।

1/4



किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

इमरजेन्सी काम्प्लोक्स एवं ट्रॉमा सेन्टर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003

पत्रांक..... / जन. / टी.-सी-19

दिनांक / / 2019

अस्थि शल्य विभाग के रेजीडेण्ट चिकित्सकों के नाम:-

1. डा० शुभम सिंह
2. डा० धीरेन्द्र वर्मा
3. डा० अनुश्रव राय
4. डा० आदर्श सेंगर
5. डा० रोहित शुक्ला

मेडिसिन विभाग के रेजीडेण्ट चिकित्सकों के नाम:-

1. डा० मंयक मिश्रा
2. डा० अज़हर
3. डा० नीरज
4. डा० प्रद्युम्न

उक्त के कम में उपरोक्त घटना की पुनः जॉच हेतु ट्रॉमा कार्यालय के पत्रांक संख्या 1521/जन. /टी०सी०-19 दिनांक 14.10.2019 के द्वारा सभी सदस्यों की एक बैठक दिनांक 14.10.2019 को समय अपराह्न 02:00 बजे आहूत की गयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

01. प्रो० जी०पी० सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, के०जी०एम०य००, लखनऊ	-	अध्यक्ष
02. प्रो० बी०के० ओझा, चिकित्सा अधीक्षक, के०जी०एम०य००, लखनऊ	-	सदस्य
03. प्रो० अनुप कुमार वर्मा, एडिशनल प्राक्टर, के०जी०एम०य००, लखनऊ	-	सदस्य
04. प्रो० सुरेश कुमार, संकाय प्रभारी, ट्रॉमा सेन्टर, के०जी०एम०य००, लखनऊ	-	सदस्य
05. प्रो० सुजाता देव, एडिशनल प्राक्टर, के०जी०एम०य००, लखनऊ	-	सदस्य

उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में निम्न लिंग्य लिये गये:-

- उपरोक्त बैठक में नशे की हालत में भर्ती कराये गये हड्डी रोग विभाग के रेजीडेण्ट चिकित्सक डॉ० प्रांजल गुप्ता जूनियर रेजीडेण्ट प्रथम तथा डॉ० रजनीश कुमार जूनियर रेजीडेण्ट प्रथम को भी घटना से संबंधित अपने बयान देने हेतु उक्त तिथि में बुलाया गया, जिसके कम में उक्त दोनों रेजीडेण्ट चिकित्सकों ने अपने पत्र दिनांक 18.10.2019 के द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया तथा उसमें स्वीकार किया कि शनिवार दिनांक 28.09.2019 की रात्रि सार्वजनिक स्थल पर शराब पिया जिसमें शराब की मात्रा इतनी अधिक थी कि तबियत खराब हो गयी उल्टी आने लगी तथा बेहोशी की हालत में मुझे ट्रॉमा सेन्टर में लाया गया।
- चीफ प्राक्टर, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 18.10.2019 के द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया है कि हड्डी रोग विभाग के रेजीडेण्ट चिकित्सक डॉ० प्रांजल गुप्ता जूनियर रेजीडेण्ट तथा डॉ० रजनीश कुमार जूनियर रेजीडेण्ट चिकित्सक अत्यधिक शराब का सेवन कर दिनांक 28.09.2019 को एम०ई०टी०सी० वार्ड में भर्ती हुए। चीफ प्राक्टर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आर्थो विभाग में मेडिसिन विभाग के रेजीडेण्ट समूह में जाकर गाली-गलौज, मारपीट एवं तोड़-फोड़ किया। उक्त के कम में चीफ प्राक्टर ने यह भी लिखा कि मेडिसिन विभाग के रेजीडेण्ट चिकित्सक डॉ० मंयक मिश्रा ने आर्थो विभाग के रेजीडेण्ट चिकित्सक को उनके सामने पीट दिया। चीफ प्राक्टर के पत्र में यह भी लिखा है कि मेडिसिन विभाग के रेजीडेण्ट चिकित्सकों ने प्राक्टर कार्यालय में जाकर चीफ प्राक्टर से भी दुर्व्यवहार किया।

1/1

2/2

3/3



किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

इमरजेन्सी काम्प्लोक्स एवं ट्रामा सेन्टर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003

पत्रांक..... / जन./टी.-सी-19

दिनांक / / 2019

01. उपरोक्त दोनों रेजीडेंट चिकित्सकों तथा चीफ प्राक्टर द्वारा दिये गये लिखित बयान से यह सिद्ध होता है कि आर्थो विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक डॉ प्रांजल गुप्ता जूनियर रेजीडेंट प्रथम तथा डॉ रजनीश कुमार जूनियर रेजीडेंट प्रथम सार्वजनिक रथल पर शराब पीकर बेहोशी की हालत में ट्रॉमा सेन्टर में भर्ती हुए वहां पर उनके साथ आर्थो विभाग के रेजीडेंटों तथा मेडिसिन विभाग के रेजीडेंटों के बीच कहा-सुनी, गाली-गलौज तथा हाथा पाई की रिथ्ति उत्पन्न हो गयी थी इस कारण एम0ई0टी0सी0 यूनिट ट्रामा सेन्टर में भर्ती अन्य गम्भीर मरीजों के उपचार में बाधा एवं सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ।

02. घटना के कुछ देर बाद मेडिसिन विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक समूह में आर्थोपैडिक यूनिट में जाकर गाली-गलौज, मारपीट एवं तोड़-फोड़ किया इससे आर्थो यूनिट में भर्ती मरीजों के उपचार एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई एवं विश्वविद्यालय सम्पत्ति का नुकसान हुआ। उक्त रेजीडेंट चिकित्सकों के इस प्रकार के कृत्य से विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल हुई।

03. उपलब्ध सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर डॉ मयंक मिश्रा जे0आर0-3 एवं डॉ के0पी0 सिंह मेडिसिन विभाग और डॉ रोहित शुक्ला तथा डॉ शुभम सिंह आर्थो विभाग की घटना में संलिप्तता प्रमाणित होती है।

के0जी0एम0यू0 एक्ट 2002, सेक्सन-17(a) तथा उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं 16 सन 2013) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में अनुशासन स्थापित करना एवं विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा करना विश्वविद्यालय में तैनात अधिकारियों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। ऊपर दिये गये तथ्यों एवं सी0सी0टी0वी0 फुटेज से यह सिद्ध होता है कि हड्डी रोग विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक डॉ प्रांजल गुप्ता एवं डॉ रजनीश कुमार ने सार्वजनिक रथल (ऊपर वर्णित) पर शराब का सेवन किया और शराब की इतनी अधिक मात्रा थी कि उन लोगों की जान स्वयं खतरे में आ गयी, इसके साथ ही उक्त रेजीडेंट चिकित्सकों के इस प्रकार के कृत्य से के0जी0एम0यू0 में हिंसा, मारपीट, तोड़-फोड़ (सम्पत्ति का नुकसान) एवं मरीजों के देख-भाल में व्यवधान (सरकारी कार्य में बाधा) उत्पन्न हुई।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय विश्व का एक प्रसिद्ध एवं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थान है। इस विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (P.G.) Course में admission अखिल भारतीय परीक्षा (NEET) के द्वारा होती है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र (P.G.) के साथ-साथ जूनियर रेजीडेंट चिकित्सक होते हैं जो वेतन भोगी चिकित्सक हैं, यह वेतन भोगी चिकित्सक चिकित्सा विश्वविद्यालय में मरीजों के उपचार में सहायता करते हैं। दिनांक 28.09.2019 की घटना एक बेहद शर्मनाक घटना है और इससे विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का नुकसान हुआ तथा रेजीडेंट चिकित्सकों के इस प्रकार के कृत्य से चिकित्सा विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल हुई है।

यहां पर यह भी वर्णन करना आवश्यक है कि वर्ष 2013 में Probationary Judicial officer की इस प्रकार की घटना में लिप्त पाये जाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिए गये थे।



किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

इंडियन सी काम्प्लेक्स एवं ट्रॉमा सेन्टर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003

पत्रांक..... / जन./टी.-सी-19

दिनांक / / 2019

निष्कर्ष

दिनांक 28.09.2019 की घटना में रेजीडेंट चिकित्सकों के बीच हुई, जिससे मरीजों के उपचार में व्यवहार, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का नुकसान तथा विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई। इस घटना के संलिप्त रेजीडेंट चिकित्सकों का कृत्य किसी भी प्रकार से क्षमा करने योग्य नहीं है परन्तु पी0जी0 में प्रवेश (NEET) परीक्षा के माध्यम से होता है और चिकित्सकों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दण्ड की संस्तुति की जाती है। जिसमें ऊपर दिये गये तथ्यों एवं साक्षों के आधार पर निम्न रेजीडेंटों पर कार्यवाही की संस्तुति की जाती है:-

01. हड्डी रोग विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक डा० रजनीश एवं डॉ० प्रांजल गुप्ता को (सार्वजनिक स्थान अत्यधिक भदिरा का सेवन करना तथा उससे उत्पन्न हिंसा, तोड़-फोड़ गाली-गलौज एवं मारपीट) को 01 वर्ष के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की संस्तुति की जाती है।
02. मेडिसिन विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक डा० मयंक मिश्रा एवं डा० कृष्ण पाल सिंह (सुनियोजित मारपीट एवं तोड़-फोड़, गाली-गलौज, सरकारी कार्य बाधा) को न्यूनतम को 01 वर्ष के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की संस्तुति की जाती है।
03. हड्डी रोग विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक डा० रोहित शुक्ला एवं डा० शुभम सिंह जो घटना में संलिप्त पाये गये हैं को 06 माह के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की संस्तुति की जाती है।
04. घटना में शामिल अन्य रेजीडेंट चिकित्सकों जो पूर्व में कुलानुशासक द्वारा निलंबित किए गये हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं को चेतावनी देते हुए एवं तोड़-फोड़ से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की हुई हाँनि की भरपाई के लिए प्रत्येक रेजीडेंट चिकित्सक को रूपये 25,000/- जुर्माना भरने की संस्तुति की जाती है।

आर्थोपैडिक विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक:

01. डा० धीरेन्द्र वर्मा
02. डा० आदर्श सेंगर
03. डा० अनुश्रव राय

मेडिसिन विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक:

01. डा० अजहर
02. डा० नीरज
03. डा० प्रदयुम्न

नोट:-

01. उक्त के अतिरिक्त ट्रॉमा सेन्टर के विभिन्न तलों पर स्थापित विभागों के विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके विभाग से सीनियर रेजीडेंटों की ट्रॉमा सेन्टर में तैनाती के दौरान संबंधित रेजीडेंट चिकित्सक प्रत्येक समय अपनी ड्यूटी के समय ट्रॉमा सेन्टर में उपलब्ध रहें।
02. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/संकाय प्रभारी, ट्रॉमा सेन्टर से अनुरोध है कि माननीय कुलपति के अनुमोदनोपरान्त ट्रॉमा सेन्टर के पदों के सापेक्ष में नियुक्त फैकल्टी की पोस्टिंग रात्रि ड्यूटी में लगायी जाये, जिससे इस प्रकार की घटना पर अंकुश लग सके।

प्रो० जी०पी० सिंह
अधिष्ठाता छात्रकल्याण,
क०जी०एम०य०,
लखनऊ

प्रो० बी०क० ओझा
चिकित्सा अधीक्षक,
क०जी०एम०य०,
लखनऊ

प्रो० अनूप कुमार वर्मा
एडिशनल प्राक्टर,
क०जी०एम०य०, लखनऊ

प्रो० सुरेश कुमार
संकाय प्रभारी,
ट्रॉमा सेन्टर,
क०जी०एम०य०, लखनऊ

प्रो० सुजाता देव
एडिशनल प्राक्टर,
क०जी०एम०य०,
लखनऊ

(10)

कार्यवृत्त

संदर्भ : कार्यालय पत्र संख्या-13948 दिनांक 05.06.2018

(अस्थि शल्य चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित)

प्रो० आर०ए०ए० कुशवाहा, चीफ प्रॉफेटर, के०जी०ए०य००, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-279/प्रा०/2018 दिनांक 29.05.2018 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में “के०जी०ए०य००, उ०प्र०, लखनऊ में जूनियर रेजीडेन्ट डाक्टरों पर हो रहे अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार” विषयक शिकायत की जांच करने हेतु, जांच समिति के पदाधिकारियों की प्रथम बैठक दिनांक 01.06.2018 को अपराह्न 2.00 बजे एक संयुक्त बैठक का आयोजन चिकित्सा अधीक्षक, के०जी०ए०य००, उ०प्र०, लखनऊ के कक्ष में किया गया था, तदोपरान्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 05.06.2018 को आहूत की गई थी, जिसमें जांच समिति के निम्नवत् सदस्यगण सम्मिलित हुए:-

1. प्रो० जी०पी० सिंह, डीन, स्टुडेन्ट वेलफेर, के०जी०ए०य००, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रो० एस०ए० शंखवार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के०जी०ए०य०० लखनऊ।
3. प्रो० बी०के० ओझा, चिकित्सा अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के०जी०ए०य०० लखनऊ।
4. प्रो० पी०के० दलाल, विभागाध्यक्ष, मानसिक चिकित्सा विभाग, के०जी०ए०य००, उ०प्र०, लखनऊ।
5. प्रो० संतोष कुमार, अस्थि शल्य चिकित्सा विभाग, के०जी०ए०य००, उ०प्र०, लखनऊ।
6. प्रो० अनूप कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, के०जी०ए०य०० लखनऊ।
7. प्रो० सुजाता देव, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, के०जी०ए०य००, उ०प्र०, लखनऊ।

उपरोक्तानुसार सभी सदस्यों द्वारा एंटी रेंगिंग हेल्प लाइन रिफरेन्स संख्या-ए०आर०सी०सी०/य०पी०-4385 दिनांक 15.05.2018 के रेंगिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र, जो चिकित्सा विश्वविद्यालय में जूनियर रेजीडेन्ट डाक्टरों पर हो रहे अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार से सम्बन्धित है को संज्ञान में लेते हुए इस विषय पर प्रथम बैठक में विस्तृत चर्चा की गई थी एवं पूर्व में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 05.06.2018 को हुई द्वितीय बैठक में निम्नवत् सुझाव दिये गये हैं:-

- एवं पूर्व में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 05.06.2018 को हुई द्वितीय बैठक में निम्नवत् सुझाव दिये गये हैं और समय-समय पर अपनी समस्याओं को फैकल्टी के संज्ञान में लाते रहें।
1. चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत रेजीडेन्ट्स, फैकल्टी के साथ सामन्जस्य एवं सहयोग बनाए रखें और जिससे रोगियों/परिजनों को भर्ती करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा तीमारदारों को इस बात की जानकारी हो कि उनके रोगी के लिए बेड उपलब्ध हो पाएगा अथवा नहीं।
 2. प्रत्येक विभाग के वाडों के बाहर फ्लैक्स बोर्ड पर बेडों की स्थिति (मरे बेड एवं रिक्त बेड) का स्पष्ट अंकन होना चाहिए, जिससे रोगियों/परिजनों को भर्ती करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा तीमारदारों को इस बात की जानकारी हो कि बुलाया/सूचित किया जा सके तथा अपने प्रभारी को भी अवगत कराया जा सके।
 3. प्रत्येक वाडों में गार्ड्स के पास वॉकी/टॉकी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे की किसी आपातकाल में अन्य गाड़ों को


प्रायः यह देखा गया है कि ट्रामा सेन्टर में कई रोगी आंशिक रूप से धायल/बीमार होकर आते हैं तथा जिनका उपचार सिविल/बलरामपुर इत्यादि सरकारी चिकित्सालयों में आसानी से हो सकता है उन्हें भी अन्य अस्पतालों और डाक्टरों द्वारा सीधे के0जी0एम0यू0, लखनऊ रिफर कर दिया जाता है तथा ऐसे अधिकतर केस मेडिकोलीगल होते हैं। इस प्रकार के रोगियों को भर्ती न करने का अधिकार चिकित्सकों और रेजीडेन्ट्स को देना चाहिए, जिससे अनावश्यक रोगियों का दबाव ट्रामा सेन्टर से कम किया जा सके।


5. सभी विभागों के बांडों में गाईस की तैनाती पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की संवेदनशील घटना घटित होने पर उसे नियन्त्रित किया जा सके।


6. चिकित्सा विश्वविद्यालय में आने वाले रोगियों को भर्ती करते समय मानवाधिकार आयोग एवं मा0 न्यायालय द्वारा निर्णीत गाइडलाइनों को संज्ञान में अवश्य रखा जाए।


7. गांडों को यह निर्देश दे दिये जाए कि बिना प्रतिस्थानी के आए अपना कार्यस्थल न छोड़ें, यदि बहुत आवश्यक हुआ तो उसकी सूचना अपने प्रभारी को अवश्य दे, उसके उपरान्त ही कार्य स्थल से प्रस्थान करें।


समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन को इस दिशा में शीघ्र-अतिशीघ्र निर्णय लेने एवं उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन अतिशीघ्र सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान करते हुए एवं सम्बन्धित प्रकरण की आव्याकार्यवृत्त को प्रो0 आर0ए0एस0 कुशवाहा, चीफ प्रॉफ्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।



(प्रो० जी०पी० सिंह)
डीन, स्टुडेन्ट वेलफेर
अध्यक्ष, जांच समिति
के0जी0एम0यू0 उ०प्र०, लखनऊ।



(प्रो० एस०एन०शंखवार)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
सदस्य, जांच समिति
के0जी0एम0यू0, उ०प्र०, लखनऊ


(प्रो० बी०के० ओज्ञा)
चिकित्सा अधीक्षक,
संयोजक, जांच समिति
के0जी0एम0यू0, उ०प्र०, लखनऊ


(प्रो० संतोष कुमार)
सदस्य, जांच समिति
अस्थि शल्य चिकित्सा विभाग
के0जी0एम0यू0 उ०प्र०, लखनऊ।


(प्रो० अनूप कुमार वर्मा)
विभागाध्यक्ष, फॉरिन्सिक मेडिक विभाग
सदस्य, जांच समिति
के0जी0एम0यू0, उ०प्र०, लखनऊ


(प्रो० सुजाता देव)
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
सदस्य, जांच समिति
के0जी0एम0यू0, उ०प्र०, लखनऊ


(प्रो० पी०के० दलाल)
विभागाध्यक्ष मानसिक चिकित्सा विभाग
सदस्य, जांच समिति
के0जी0एम0यू0 उ०प्र०, लखनऊ।

(8)

संलग्नक-1

दिनांक 01.06.2018 को जांच समिति की सदस्यों की आहूत होने वाली संयुक्त बैठक में जूनियर डाक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव/अध्यक्ष व अन्य प्रतिनिधियों द्वारा सूचीबद्ध की गई समस्याएं एवं सुझाव

1. ट्रामा सेन्टर में अतिशीघ्र एक पुलिस चौकी बनायी जाए।
2. जगह-जगह पर बोर्ड लगाना चाहिए कि चिकित्सकों/कर्मचारियों के साथ मारपीट करना दण्डनीय अपराध है।
3. गार्ड की वर्तमान व्यवस्था को अपग्रेड किये जाने की आवश्यकता है।
4. बेड रिक्त है अथवा फुल इसकी सूचना ट्रामा सेन्टर के बाहर सूचना पट्ट पर स्पष्ट रूप से लिख दी जाए एवं रोगी के परिजनों को अवगत करा दिया जाए।
5. किसी भी रोगी को चिकित्सा विश्वविद्यालय में रिफर करने से पूर्व यहां पर बेडों के रिक्त होने के सम्बन्ध में टेलीफोन के माध्यम से जानकारी अवश्य कर ली जाए, उसके उपरान्त ही रोगी को भेजा जाए।
6. रेजीडेन्ट्स के बैठने के स्थल को स्टील की रैलिंग लगाकर सुरक्षित किया जाए।
7. ट्रामा सेन्टर में गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाए।
8. सभी चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टॉफ/कर्मचारियों को अपनी निर्धारित यूनिफार्म अवश्य पहननी चाहिए तथा साथ ही आई0डी0 कार्ड अवश्य रखना चाहिए।
9. पिछले लगभग 3 से 4 एफ0आई0आर0 पर क्या कार्यवाही की गई की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर, सूचित किया जाना चाहिए।
10. जन-सम्पर्क अधिकारी की संख्या बढ़ायी जाने चाहिए।
11. रेजीडेन्ट्स कक्ष में वी0आई0पी0 का ट्रीटमेन्ट नहीं किया जाना चाहिए।
12. मेडिसिन विभाग/बाल विभाग/लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग/प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग/ट्रामा सेन्टर व अन्य संवेदनशील वाड़ों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अवश्य लगाया जाना चाहिए।
13. विजिटर रजिस्टर भी होना चाहिए जिसमें सभी आने-जाने वाले का विवरण अंकित किया जाए।

चीफ प्राक्टर
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

महोदय,

आप अपने कार्यालय पत्र संख्या-456/प्रा०/2018 दिनांक-14/07/2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत आप द्वारा एक कमेटी गठित की गयी है, जॉच कमेटी सदस्यों ने दिनांक-19/07/2018 को अपरान्हः 02:00 बजे चीफ प्राक्टर कार्यालय में बैठक आहूत की गयी तथा दोनों छात्रों को बुलाकर पुछ-ताछ एवं लिखित बयान लिया गया। कमेटी सदस्यों द्वारा गहन निरीक्षणपरान्त निम्नलिखित संस्तुति करती है। जो निम्नवत है।

1. दोनों छात्रों के चिकित्सा विश्वविद्यालय के आवासीय कक्ष को तीन माह के लिए निरस्त कर दिया जाये।
2. यदि दोनों छात्रों द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो कठोर कार्यवाही करते हुए इनके कक्षाओं से निलम्बित करने का पत्र ले लिया जाय।
3. दोनों छात्रों के कार्य व्यवहार की आख्या नर्सिंग कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक माह तीन माह तक अधिष्ठाता नर्सिंग संकाय एवं प्राक्टर को उपलब्ध करायी जाये।
4. छात्रों के माता पिता को उक्त घटना की जानकारी पत्र द्वारा दी जाय।

श्रीमती रशिम पी जॉन सदस्य	प्रो० अनूप कुमार वर्मा सदस्य	प्रो० आर० क० चक्र सदस्य	प्रो० यू०बी० मिश्रा अध्यक्ष
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। प्राक्टर कार्यालय

पत्र संख्या-५७२/प्रा०/2018

दिनांक-२५/०७/२०१८

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. टी०जी० छात्रावास, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, नर्सिंग कालेज, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।
3. अधिष्ठाता नर्सिंग संकाय, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।

(प्रो० आर०ए०स० कुशवाहा)
चीफ प्राक्टर

3. It is also significant to mention about an application which was given recently by the students of MBBS 2015 batch living in Old VL Hall addressed to the Provost (VL Hall), where they have mentioned that Ms Sakshi Amrapali has been showing abnormal behavior since last one year and quoted various observations regarding the same. The photocopy of the application is attached for your kind perusal.

Sir, this is for your kind information and necessary action

Thanking You

Shally Awasthi
17/07/18

(Dr. Shally Awasthi)

Provost
VL Hall
King George's Medical University,
Lucknow

Shivani Pandey
17/07/18

(Dr. Shivani Pandey)

Asst Provost
VL Hall
King George's Medical University
Lucknow

Mousami Singh

(Dr. Mousami Singh)

Asst Provost
VL Hall
King George's Medical University,
Lucknow

Shiuli

(Dr. Shiuli)

Asst Provost
VL Hall
King George's Medical University,
Lucknow

Enclosure:

1. Student's Complain dated 27.1.18 attached with prescription from psychiatry department for Ms. Sakshi
2. Student's Complain dated 16.7.18

Copy to:

1. P.S. to Vice Chancellor, KGMU, Lucknow.

To,
The Chief Proctor
King George's Medical University,
Lucknow

No. 158/VLH/2018 dt 17/7/18

Sub: Regarding the deviant conduct of Ms. Sakshi Amrapali- MBBS, 2015 batch, Old VL Hall

Sir,

This is to bring to your kind notice the behavior/attitude/actions of Ms. Sakshi Amrapali which are irresponsible and uncalled for.


1. On the evening of 14 July, 2018, instead of lodging any complaint with us she directly went to the Police Chowki, KGMU and tried to lodge a complaint against her room partner. She alleged that roommate made sexual advancements towards her.


We got an information from the police in the afternoon that Ms. Sakshi Amrapali is there at the police station. We asked the S.I. to send her to the Hostel but the S.I. instead of accompanying her sent her by E-rickshaw and himself came by a separate vehicle. Ms. Sakshi instead of coming to the hostel went to some other place without informing us. We continuously kept on calling her but she did not respond to our calls. We even tried to talk to her mother but in response the mother pretended to be her neighbor and told us the Sakshi's mother is admitted in the hospital.


Once again at 9:30 pm we got a call from police station that she has turned up but by the time one of the Assistant Provost could reach there she again left the police station. As it was already 10:00 pm and the girl was missing from the hostel and the gate of the hostel was scheduled to be closed, we again called her up but she did not respond.


2. It is also pertinent to mention here that in Jan 2018, batch mates of Ms Sakshi have given an application mentioning that she has serious ill health (photocopy attached), taking cognizance of which Dr. Shally Awasthi sent the student (Ms Sakshi) to be examined in Medicine and also for a Psychiatric assessment accompanied by the female clerks of VL Hostel. A copy of the above mentioned application was also forwarded to the Proctor for necessary information.

The parents of the student were also called and were asked to take her home and emotionally support her.


Neetu
17/7/18


Pandey
17/7/18


Mansuri Singh
18/7/18


Bindu

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राक्टर कार्यालय

मीटिंग / कार्यवृत्त

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग में तैनात रेजीडेन्ट डा० वकील अहमद तथा अन्य के प्रधना पत्र दिनांक-27/04/2018 के सन्दर्भ में मा० कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त गठित समिति की बैठक दिनांक-03/07/2018 को पूर्वान्ह 01:30 बजे को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

प्रो० मधुमती गोयत्व

अध्यक्ष

अधिष्ठाता चिकित्सा संकाय

प्रो० आर०एस०एस० कुशवाहा

समन्वयक

कुलानुशासक

प्रो० यू०बी० मिश्रा

सदस्य

अस्पताल प्रशासन विभाग

प्रो० राजीव गर्ग (विभागाध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य)

सदस्य

रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग

प्रो० जी० पी० सिंह

सदस्य

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रो० अनूप कुमार वर्मा

सदस्य

एडिशनल प्राक्टर

प्रो० सन्तोष कुमार

सदस्य

रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग


समिति द्वारा पूर्व में गठित पॉच संदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या का अवलोकन किया गया तथा जूनियर रेजीडेन्ट डा० कृष्ण कान्त को भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न संस्तुति की जाती है:-


1. विभागाध्यक्ष रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग द्वारा नामित सीनियर रेजीडेन्ट द्वारा डा० कृष्ण कान्त की विलनीकल पोस्टिंग, पेसेन्ट केयर, शैक्षणिक, प्रशीक्षण से सम्बन्धित शोध कार्य सहपाठियों के साथ कार्य व्यवहार, मरीजों तथा उनके परिजनों के साथ कार्य एवं व्यवहार के सम्बन्ध में गोपनीय विस्तृत आख्या प्रत्येक माह नियमित रूप से अधिष्ठाता चिकित्सा संकाय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चीफ प्राक्टर एवं कुलपति जी के निजी सचिव को प्रेषित की जायेगी। उक्त आख्या में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर को०जी०एम०य० प्रशासन द्वारा डा० कृष्ण कान्त के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।


2. डा० कृष्ण कान्त को अपने पूर्व मानसिक चिकित्सक डा० मनु अग्रवाल से प्रत्येक माह परामर्श प्राप्त कर विभागाध्यक्ष रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग, को प्रस्तुत करना होगा।


3. डा० कृष्ण कान्त को चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्रावास में कोई कक्ष आवंटित नहीं किया जायेगा।


4. डा० कृष्ण कान्त को एक कठोर चेतावनी पत्र अधिष्ठाता चिकित्सा संकाय के स्तर से निर्गत किया जायेगा। जिसके पश्चात इन्हे विभाग में अपनी सेवाये प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।


प्रो० सन्तोष कुमार
सदस्य



प्रो० अनूप कुमार वर्मा
सदस्य



प्रो० जी० पी० सिंह
सदस्य


प्रो० राजीव गर्ग
सदस्य


प्रो० यू०बी० मिश्रा प्रो०
सदस्य


प्रो० आर०एस०एस० कुशवाहा
समन्वयक


प्रो० मधुमती गोयल
अध्यक्ष


9/7/18
Vice Chancellor
King George's Medical University Lucknow
Vice Chancellor



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

अधीक्षक कार्यालय

गौदी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ-२२६००३

पत्रांक.....

दिनांक.....

कार्यवृत्ति

चीफ प्राक्टर, के०जी०एम०य००, उ०प्र०० लखनऊ के पत्र संख्या-५३८/प्रा०/२०२१, दिनांक- १६.०८.२०२१ के द्वारा अवात कराया गया है कि डा० अमित यादव, जूनियर रेजीडेंट तृतीय वर्ष, रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग, के०जी०एम०य००, उ०प्र००, लखनऊ के प्रकरण से सम्बन्धित हैं। डा० अमित यादव का मानसिक परीक्षण कराने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त के कम में अधीक्षक कार्यालय के पत्रांक संख्या-१९५४५/ई०पी०/२०२१, दिनांक-०७.०९.२०२१ के द्वारा एक जॉच कमेटी का गठन किया गया जिसकी बैठक दिनांक १४.०९.२०२१ को चिकित्सालय के कमेटी हाल में १.०० बजे आहूत हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

१- डा० एस०एन०संख्वार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के०जी०एम०य००, उ०प्र०० लखनऊ	अध्यक्ष
२- डा० विवेक अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, मानसिक विभाग, के०जी०एम०य००, उ०प्र०० लखनऊ	सदस्य
३- डा० विवेक कुमार, आचार्य, मेडिसिन विभाग, के०जी०एम०य००, उ०प्र०० लखनऊ	सदस्य
४- डा० आर०क० गर्ग, विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी विभाग, के०जी०एम०य००, उ०प्र००, लखनऊ	सदस्य
५- डीन, स्टूडेन्ट वेलफेर, के०जी०एम०य००, उ०प्र००, लखनऊ	सदस्य

जॉच कमेटी के सदस्यों द्वारा डा० अमित यादव, जूनियर रेजीडेंट तृतीय वर्ष, रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग, के०जी०एम०य००, उ०प्र००, लखनऊ का चिकित्सीय परीक्षण करने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

१- मानसिक विभाग- डा० अमित यादव, इंजाइटी डिस आडर के मरीज है, इनका एक महीने से इलाज डा० विवेक अग्रवाल के अन्तर्गत चल रहा है। पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, इनको यह बताया गया कि भविष्य में इलाज जारी रखें, बीमारी के कारण इनके व्यवहार में परिवर्तन हैं। डा० अमित यादव को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती न करें।

Ram

(डा० एस०एन०संख्वार)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Vilas

(डा० विवेक अग्रवाल)
विभागाध्यक्ष, मानसिक विभाग

VJ

(डा० विवेक कुमार)
मेडिसिन विभाग

Ram

(डा० आर०क० गर्ग)
विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी
विभाग

Veetratare

(डा०आर०एन०श्रीवास्तव)
डीन
स्टूडेन्ट वेलफेर,
के०जी०एम०य००, लखनऊ

सेवा में,

कुलानुशासक
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

महोदय,


सादर सूचित करना है कि आपके कार्यालय पत्र संख्या-673/प्रा०/2021 दिनांक-07/10/21 के संदर्भ में, दिनांक-13/10/2021 दिन बुधवार अपराह्न 1:30 बजे एवं दिनांक-21/10/21 दिन बुधवार अपराह्न 1:00 बजे गठित जांच कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में चीफ प्राक्टर कक्ष (पी०एच०आई० भवन) में बैठक सम्पन्न हुई।


बैठक में श्री रुद्र प्रताप सिंह, बी०ए०सी० नर्सिंग-2020 बैच, श्री मनीष यादव, बी०ए०स०सी० नर्सिंग-2020 बैच एवं श्री नितीश चौरसिया बी०ए०स०सी० नर्सिंग 2020 बैच उपस्थित हुये। उपस्थित कमेटी सदस्यों द्वारा उक्त घटना के बारे में श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री मनीष यादव, श्री नितीश चौरसिया से पूछ-तूछ किया गया तथा लिखित बयान भी लिया गया।


अंत में सभी ने आपस में समझौता कर लिया और उन्होंने कहा की इनके बीच में जो विवाद हुआ वह तृटिवश हुआ अब इनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। यदि भविष्य में इस प्रकार की गलती होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी हम तीनों लोगों की होगी।

लेकिन मनीष यादव ने कमेटी को बताया कि वह बहुत तनाव ग्रस्त है और अपने बैच मेट श्री रुद्र प्रताप सिंह, की कही बातों को वह भूल नहीं पा रहे हैं।

अतः कमेटी यह संस्तुति करती है कि यह मामला यहीं रफा दफा किया जाये और मनीष यादव की स्टूडेंट काउंसलिंग करा दिया जाये। जिससे मनीष यादव को तनाव से मुक्ति मिल सके।


(सुश्री शूचना राय भौमिक)
सदस्य


(डा० शिली)
सदस्य


(डा० दर्शन बजाज)
सदस्य


(प्रो० नन्द लाल)
संयोजक

कार्यवृत्त

दिनांक-28/09/2021 के तहत दिनांक-01/10/2021 दिन शुक्रवार मध्याह्न: 12:00 बजे चीफ प्राक्टर की अध्यक्षता में चीफ प्राक्टर कक्ष (पी0एच0आई0 भवन) में एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुये-

1. डा० श्रीविजय कुमार शाक्या
2. डा० विजय कुमार शाक्या
3. डा० राजा लूपानी
4. डा० अंजनी कुमार पाठक
5. डा० गनेश यादव।

बैठक में श्री सनी और श्री राजेश (आरोपियों) तथा श्री राम पियारे (शिकायत कर्ता, को स्पीड पोस्ट, डाक माध्यम से) को बुलाया गया, श्री सनी और श्री राजेश बैठक में उपस्थित हुये परन्तु श्री राम पियारे बैठक में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित कमेटी सदस्यों द्वारा उक्त घटना के बारे में श्री सनी और श्री राजेश से पूछ-तूछ किया गया तथा लिखित बयान भी लिया गया।

श्री सनी और श्री राजेश ने अपने—अपने बयान में कहा कि उन्हें इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है एवं उन्होंने किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया है, यदि भूलचूक कोई गलती हो गयी है तो हमें माफ कर दें। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

उन्होंने अवगत कराया कि मर्चरी के बाहर रोड पर शव का सामान (कफन इत्यादि) की अनाधिकृत दुकानें हैं, जो अक्सर मृतक के परिजनों से शव की पैकिंग एवं शव वाहन की व्यवस्था के लिये मनमानी ढंग से पैसे की वसूली करते हैं।

श्री राम पियारे (शिकायत कर्ता) जो बैठक में उपस्थित नहीं हुये, उन्हें बैठक के दौरान उनके शिकायती पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर 9922880414 पर कॉल किया गया तो पता चला कि यह नम्बर गलत है वह किसी अन्य व्यक्ति का है।

दिनांक-09/09/2021 का मर्चरी रजिस्टर में देखा गया तो राम पियारे का नम्बर- 9461449183 मिला इस नम्बर पर जब सम्पर्क किया गय तो श्री राम पियारे ने फोन उठाया जब उनसे इस प्रकरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया पोस्टमार्टम के उपरान्त वह शव को लेकर सुल्तानपुर चले गये थे। उन्होंने कोई शिकायती पत्र नहीं दिया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रतीत होता है कि इसमें के0जी0एम0य० के कर्मचारियों की पैसे के लेनदेन में सलिलिता नहीं है। साथ ही शिकायत कर्ता से फोन द्वारा बात करने पर इस पूरे प्रकरण पर अनभिज्ञता जतायी गयी है।

अतः समिति सर्वसम्मति से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करती है-

1. मृतक के पोस्टमार्टम के उपरान्त आवश्यक वस्तुओं (कपड़ा पन्नी, विसरा वायल) को विश्वविद्यालय परिसर में ही उपलब्ध करा दिया जाये ताकि इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
2. एम्बुलेंस एवं शव वाहन की सुविधा, पी0आर0ओ0 के निर्देशन में कार्य करें।

चीफ प्राक्टर
अध्यक्ष

डा० अंजनी कुमार पाठक
सदस्य

विजय कुमार शाक्या
सदस्य
08/10/21

विजय कुमार शाक्या
सदस्य
08/10/21

राजा लूपानी
सदस्य
08/10/21

कार्यवृत्त

विभागाध्यक्ष, किटिकल केयर मेडिसिन विभाग, के कार्यालय पत्र संख्या—सी.सी.एम./2021/0061 दिनांक—06/05/2021 में अंकित प्रकरण की जाँच हेतु मा० कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ००प्र० लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या—३९/गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2021 दिनांक—21/05/2021 के तहत चीफ प्राक्टर को अध्यक्ष एवं अन्य को सदस्य नामित किया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि किटिकल केयर मेडिसिन विभाग के०जी०एम०य०० लखनऊ में कार्यरत अस्थायी डालिसिस टेक्नीशियन श्री सौरभ सिंह, पुत्र श्री श्याम बहादुर सिंह दिनांक— २०/०३/२०२१ से दिनांक—०६/०४/२०२१ तक कोविड हास्पिटल, आर०ए०एल०सी० आईसी०य०० के०जी०एम०य०० लखनऊ में डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। श्री सौरभ सिंह, ने किटिकल केयर मेडिसिन विभाग में कार्यरत अस्थायी आई०सी०य०० टेक्नीशियन श्री दीपांशु वर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद के साथ मिलकर आर०ए०एल०सी०, आईसी०य०० में भर्ती कोविड—१९ संक्रित मरीजों पर उपयोग हो रहे जीवन रक्षक रेमडेसिवर इंजेक्शन को इलाज के समय वहां से चोरी कर के बाहर मरीजों के तीमारदारों को गैरकानूनी ढग से अधिक दाम पर बेचे हैं। उपरोक्त प्रकरण की जाँच हेतु चीफ प्राक्टर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या—२८८/प्रा०/२०२१ दिनांक—२२/०५/२०२१ के द्वारा समिति की बैठक दिनांक—२४/०५/२०२१ को अपराह्न ०१:०० बजे चीफ प्राक्टर कार्यालय में आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए।


- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. डा० क्षितिज श्रीवास्तव | अध्यक्ष |
| 2. डा० जे०डी० रावत | सदस्य |
| 3. डा० नितिन दत्त भारद्वाज | सदस्य |
| 4. डा० अविनाश अग्रवाल | सदस्य |


निम्न सदस्य बैठक में किसी कारणवस अनुपस्थित रहे।


- | | |
|-------------------|-------|
| 1. डा० डी० हिमाशु | सदस्य |
| 2. अक्षय आनन्द | सदस्य |

समिति सदस्यों द्वारा सौरभ सिंह पुत्र श्री श्याम बहादुर सिंह से पूछ—तॉछ की गयी तथा लिखित व्यापारी भी लिया गया, जिसमें उन्होनें रेमडेसिवर दवा क्य किया जाना स्वीकार किया श्री दीपांशु उक्त तिथि को शहर से बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हुए इसलिए कमेटी सदस्यों ने सर्वसम्मति से बैठक को दिनांक—२५/०५/२०२१ को पुनः आहूत करने का निर्णय लिया गया।

डा० क्षितिज श्रीवास्तव
अध्यक्ष


डा० जे०डी० रावत
सदस्य


डा० नितिन दत्त भारद्वाज
सदस्य


डा० अविनाश अग्रवाल
सदस्य

कार्यवृत्त


चीफ प्राक्टर, के पत्र संख्या—13/प्रा०/2022 दिनांक—05/01/2022 द्वारा रेस्पाईरेटरी मेडिसिन विभाग में कार्यरत डा० राजकुमार, जूनियर रेजीडेन्ट तृतीय वर्ष, की व्यक्तिगत य०एच०आई०डी० का दुरुपयोग के संबंध में विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित जांच कमेटी गठित की गयी —


- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. प्रो० एस० एन० सिंह (बाल विभाग) | अध्यक्ष |
| 2. डा० जगदीश नारायण (सहायक प्राक्टर) | सदस्य |
| फिजियोलॉजी विभाग | |
| 3. डा० गरिमा सहगत (सहायक प्राक्टर) | सदस्य |
| एनैटमी विभाग | |
| 4. डा० शान्तनु आर्थोपेडिक विभाग | सदस्य |
| 5. डा० दर्शन बजाज, सहायक प्राक्टर | सदस्य |


► उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण की जांचोंपरांत जांच समिति के समक्ष निम्नलिखित तथ्य सामने आए —


- 1— डा० राजकुमार, जूनियर रेजीडेन्ट तृतीय वर्ष जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए उन्होंने यह अवगत कराया कि उनकी UHID No- 20190502444 का दुरुपयोग रेस्पाईरेटरी मेडिसिन विभाग में भर्ती मरीज अंकित के रिश्तेदार सर्वेश ने उनकी य०एच०आई०डी० से जीरो बिलिंग कराकर डा० राजकुमार के नाम के ऊपर अंकित नाम की रिलिप चिपकाकर दुरुपयोग किया गया। जो कि मेडिसिन विभाग के बिलिंग काउण्टर में आई०टी० सेल द्वारा तैनात कर्मचारी विवेक अवस्थी ने निकाले थे।
- 2— जांच समिति द्वारा आई०टी० सेल से डा० राजकुमार की य०एच०आई०डी० से जनरेट जीरो बिल निकलवाए गए। जिसमें डा० राजकुमार ने अपने बिलों का परीक्षण कर यह बताया कि उनकी य०एच०आई०डी० से लगभग 25 से 26 फर्जी जीरो बिलिंग विभिन्न काउण्टर से करायी गयी।
- 3— अंकित मरीज के रिश्तेदार सर्वेश व मेडिसिन विभाग के बिलिंग काउण्टर में आई०टी० सेल द्वारा तैनात कर्मचारी विवेक अवस्थी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए जिस पर दोनों ही व्यक्तियों से समिति द्वारा गहन पूछताछ की गयी।
- 4— पूछताछ के दौरान अंकित मरीज के रिश्तेदार सर्वेश ने यह बताया कि उसकी जीरो बिलिंग मेडिसिन विभाग के बिलिंग काउण्टर में आई०टी० सेल द्वारा तैनात कर्मचारी विवेक अवस्थी ने की इसके लिए उसने कोई भी य०एच०आई०डी० उपलब्ध नहीं करायी। जबकि आई०टी० सेल द्वारा तैनात कर्मचारी विवेक अवस्थी का कहना है कि अंकित मरीज के रिश्तेदार सर्वेश ने डा० राजकुमार की य०एच०आई०डी० उपलब्ध करायी। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रतीत होता है कि दोनों के कथनों में विरोधाभास है।
- 5— डा० राजकुमार ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि उनकी य०एच०आई०डी० का दुरुपयोग किया गया है। (स्टेटमेंट संलग्न)


निष्कर्ष— जांच समिति द्वारा जांचोंपरांत यह पाया गया कि अंकित मरीज के रिश्तेदार सर्वेश व मेडिसिन विभाग के बिलिंग काउण्टर में आई०टी० सेल द्वारा तैनात कर्मचारी विवेक अवस्थी दोनों एक—दूसरे को पहले से ही जानते हैं तथा उपरोक्त फर्जीवाड़े में दोनों की संलिप्तता है। दोनों ने उपरोक्त कृत्य के लिए समिति के समक्ष अपना लिखित माफीनामा भी प्रस्तुत किया है (मूलप्रति संलग्न)।

अध्यक्ष 
प्रो० एस० एन० सिंह (बाल विभाग)
के०जी०एम०य०० लखनऊ।


डा० जगदीश नारायण (सहायक प्राक्टर)
के०जी०एम०य०० लखनऊ।


डा० दर्शन बजाज, सहायक प्राक्टर
के०जी०एम०य०० लखनऊ।


सदस्य
डा० दर्शन बजाज, सहायक प्राक्टर
के०जी०एम०य०० लखनऊ।


सदस्य
डा० गरिमा सहगत (सहायक प्राक्टर)
के०जी०एम०य०० लखनऊ।

जॉच आख्या

दिनांक—०१/०७/२०२१

नं - ३१/८५२१

सेवा में,

चीफ प्राक्टर
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

794/-
0117121

महोदय,

कृपया आप अपने कार्यालय पत्र संख्या—195/प्रा०/2021 दिनांक—07/04/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, आर०एल०सी० के कार्यालय पत्र संख्या—17/सी०एच०/2021 दिनांक—06/04/2021 में अंकित प्रकरण से सम्बन्धित है। जो डा० नागेन्द्र कुमार, जूनियर रेजीडेंट प्रथम वर्ष, रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग द्वारा डा० अमित यादव, जूनियर रेजीडेंट द्वितीय वर्ष, रेस्पाइरेटरी मेडिसिन विभाग के विरुद्ध किये गये शिकायती पत्र के जॉच प्रकरण से सम्बन्धित है। सूचित करना है कि गठित कमेटी सदस्यों द्वारा दिनांक—24/06/2021 एवं दिनांक—29/06/2021 को चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहुत की गयी जिसमें डा० शितली एवं डा० दर्शन बजाज अवकाश पर होने के कारण अनुपस्थित रहे।

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा डा० नागेन्द्र कुमार एवं डा० अमित यादव से गहनता से पूछ-तूछ किया गया तथा उक्त घटना की विस्तृत जॉच की गयी।

जॉचोपरान्त पाया गया कि आर०एल०सी० भवन में उस दौरान गम्भीर कोविड-19 से संक्रमित मरीज भर्ती थे जिनका बिना किसी लापरवाही के सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपचार किया जा रह था, उसमें कुछ अति गम्भीर थे, जिनके उपचार में डा० अमित यादव एवं अन्य चिकित्सक तैनात थे। डा० अमित यादव द्वारा डा० नागेन्द्र को उक्त लगभग 35 मरीजों का सैम्प्लिंग के लिए निर्देशित किया गया था। जिसमें से डा० नागेन्द्र द्वारा मात्र 20 मरीजों का सैम्प्लिंग किया गया और अन्य का नहीं किया गया, इस बात को डा० नागेन्द्र द्वारा समिति के सदस्यों के समक्ष स्वीकार भी किया गया। उपरोक्त लापरवाही के कारण डा० अमित यादव आवेश में आकर डा० नागेन्द्र के ऊपर हाथ उठा दिये जबकि उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, इस घटना से डा० अमित यादव काफी दुखी एवं आहत भी है। इस प्रकार की कृत्य को उनके द्वारा समिति के सक्षम स्वीकार भी किया गया तथा लिखित भी दिया गया है। भविष्य में इसकी पूनरावृत्ति ना होने का आश्वासन भी दिया गया।

जॉच के दौरान समिति के सदस्यों ने पाया कि उपरोक्त घटना एक संयोग था डा० अमित यादव द्वारा हाथ उठाया जाना कोई उद्देश्य नहीं था और ना ही पूर्व से दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद था। फिर भी डा० अमित यादव द्वारा इस प्रकार से किया गया कृत्य एवं डा० नागेन्द्र द्वारा मरीज के उपचार में लापरवाही बरतना चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियम एवं अनुशासन के विरुद्ध है। समिति के सदस्यों के समक्ष डा० नागेन्द्र कुमार एवं डा० अमित यादव द्वारा मौखिक एवं लिखित में अपनी-अपनी गलती को स्वीकार किया गया तथा आपसी समझौता कर लिया गया। दोनों के मध्य अब कोई विवाद नहीं है।

उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए कमेटी सदस्यों द्वारा निम्न संरक्षित की जाती है—

1. डा० नागेन्द्र कुमार द्वारा मरीज के उपचार में लापरवाही वर्ती गयी एवं डा० अमित यादव द्वारा अपने जूनियर पर आवेश में आकर हाथ उठाना चिकित्सा विश्वविद्यालय के अनुशासन के विरुद्ध है। दोनों पक्षों से भविष्य में ऐसा ना किये जाने की चेतावनी पत्र निर्गत किया जाए। तथा दोनों चिकित्सकों से भविष्य में ऐसा ना किये जाने का शपथ पत्र भी लिया जाए। तथा इनके अविभावक को भी सूचित किया जाए।
2. डा० अमित यादव के ऊपर रु० 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) अर्थदण्ड लगाये जाने की संस्तुति की जाती है।

Bala
डा० बालेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक प्राक्टर / जॉच सदस्य

anand
प्रो० नन्द लाल
एडिशनल प्राक्टर / जॉच सदस्य

anand
प्रो० आर०ए० एस० कुशवाहा
चीफ प्रोवोक्ट / जॉच अध्यक्ष

कार्यवृत्त

विभागाध्यक्ष, किटिकल केयर मेडिसिन विभाग, के कार्यालय पत्र संख्या—सी.सी.एम./2021/0061 दिनांक—06/05/2021 में अंकित प्रकरण की जाँच हेतु मारु कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उपरोक्त द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या—39/ गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2021 दिनांक—21/05/2021 के तहत चीफ प्राक्टर को अध्यक्ष एवं अन्य को सदस्य नामित किया गया है।

जिसमें सूचित किया गया है कि किटिकल केयर मेडिसिन विभाग के 0जी0एम0यू० लखनऊ में कार्यरत अस्थायी डालिसिस टेक्नीशियन श्री सौरभ सिंह, पुत्र श्री श्याम बहादुर सिंह दिनांक—20/03/2021 से दिनांक—06/04/2021 तक कोविड हास्पिटल, आर0एल0सी0 आईसी0यू० के 0जी0एम0यू० लखनऊ में डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। श्री सौरभ सिंह, ने किटिकल केयर मेडिसिन विभाग में कार्यरत अस्थायी आईसी0यू० टेक्नीशियन श्री दीपांशु वर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद के साथ मिलकर आर0एल0सी0, आईसीयू० में भर्ती कोविड-19 संक्रित मरीजों पर उपयोग हो रहे जीवन रक्षक रेमडेसिवर इंजेक्शन को इलाज के समय वहां से छोरी कर के बाहर मरीजों के तीमारदारों को गैरकानूनी ढग से अधिक दाम पर बेचे हैं। उपरोक्त प्रकरण की जाँच हेतु चीफ प्राक्टर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या—292/प्रा०/2021 दिनांक—24/05/2021 के द्वारा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक—25/05/2021 को अपराह्न 01:30 बजे चीफ प्राक्टर कार्यालय में आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए।

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. डा० क्षितिज श्रीवास्तव | अध्यक्ष |
| 2. डा० जे०डी० रावत | सदस्य |
| 3. डा० डी० हिमाशु | सदस्य |
| 4. डा० अविनाश अग्रवाल | सदस्य |
| 5. डा० नितिन दत्त भारद्वाज | सदस्य |
| 6. अक्षय आनन्द | सदस्य |

समिति सदस्यों के समक्ष दोनों पक्षों का बयान लिया गया, जिसमें श्री सौरभ सिंह के कथनानुसार दो बार में 15 (पहली बार 6 एवं दुसरी बार 9 एन्जेक्शन) रेमडेसिवर एन्जेक्शन श्री दीपांशु वर्मा से ₹0—14000.00 प्रति इन्जेक्शन की दर से क्रय किया। श्री दीपांशु वर्मा के कथनानुसार उक्त इन्जेक्शन को उन्होंने किसी प्रतीन नामक व्यक्ति से क्रय किया था। प्रतीन के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जानकारी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पायें।

श्री सौरभ सिंह ने यह भी अवगत कराया कि श्री अंकुर नामक व्यक्ति जो गॉंधी वार्ड में कार्यरत है से रेमडेसिवर इन्जेक्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था और श्री अंकुर द्वारा इन्जेक्शन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया था परन्तु उपलब्ध नहीं कराया। जिससे अंकुर संदिग्ध प्रतीत होता है।

श्री सौरभ सिंह के बैंक खाता के अप्रैल माह में अलग—अलग लेनदेन को देखते हुए उक्त समस्त कर्मचारी रेमडेसिवर एंजेक्शन के कालाबाजारी में लिप्त प्रतीत होते हैं।

अतः कमेटी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि दोनों कर्मचारियों को के 0जी0एम0यू० से निष्कासित करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस को सूचित किया जाय एवं सम्बन्धित प्रत्येक एजेन्सी पर ₹0—5000.00 (पाँच हजार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड लगाते हुए फर्म को कड़ी चेतावनी पत्र निर्गत किया जाय, कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो फर्म पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुती कर दी जायेगी। और वर्तमान समय में के 0जी0एम0यू० में वाहय सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात समस्त कर्मचारियों का पुनः पुलिस वेरिफिकेशन कराने की संस्तुती करती है।

डा० क्षितिज श्रीवास्तव
अध्यक्ष

डा० अविनाश अग्रवाल
सदस्य

Kawat
डा० जे०डी० रावत
सदस्य

डा० डी० हिमाशु
सदस्य

Nitindra Bhardwaj
डा० नितिन दत्त भारद्वाज
सदस्य

Amane
डा० अक्षय आनन्द
सदस्य